CGHC010265832021 2026:CGHC:28171

अप्रतिवेद्य

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

विविध अपील (प्रतिकर) क्रमांक–605/2021

1. इंदा बाई निषाद पति–स्वर्गीय रतिराम, आयु–लगभग 62 वर्ष,
2. रामकुमार पिता–स्वर्गीय रतिराम, आयु–लगभग 47 वर्ष,
3. शिवसाय पिता–स्वर्गीय रतिराम, आयु–लगभग 32 वर्ष, **सभी निवासी**–नूनिया कछार, पुलिस थाना–मुंगेली, तहसील एवं जिला–मुंगेली (छत्तीसगढ़)

–––––अपीलार्थीगण/दावाकर्तागण

विरूद्ध

1. रामस्वरूप साहू, पिता–सुखीराम साहू, आयु लगभग 31 वर्ष, निवासी–धपाई, पोस्ट–पण्डरभठा, पुलिस थाना–मुंगेली, तहसील एवं जिला–मुंगेली (छत्तीसगढ़)
   (दोषी वाहन हाईवा ट्रक क्रमांक–सी.जी.–28–एच.–2613 का **वाहन चालक)**
2. प्रशांत शुक्ला, पिता–प्रमोद शुक्ला, निवासी–पण्डरभठा, पुलिस थाना–मुंगेली, तहसील एवं जिला–मुंगेली (छत्तीसगढ़)
   (दोषी वाहन हाईवा ट्रक क्रमांक–सी.जी.–28–एच.–2613 का **पंजीकृत स्वामी)**
3. द न्यू इण्डिया कंपनी लिमिटेड (अधिनिर्णय में बीमा अवधि का उल्लेख नहीं) द्वारा शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय–रामा ट्रेड सेंटर, द्वितीय तल, यू.टी.आई. भवन, राजीव प्लाज़ा के समक्ष, पुलिस थाना–सिटी कोतवाली, तहसील एवं जिला–बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
   (दोषी वाहन हाईवा ट्रक क्रमांक–सी.जी.–28–एच.–2613 का **बीमा कंपनी)**

–––––प्रत्यर्थीगण

POMAN DEWANGAN
Digitally signed by POMAN DEWANGAN
Date: 2026.07.09 10:48:25 +0530

अपीलार्थीगण/दावाकर्तागण द्वारा	:	श्री देवेश जी. केला, अधिवक्ता ।
प्रत्यर्थी क्रमांक–1 एवं 2 द्वारा	:	सुश्री मधुनिशा सिंह, अधिवक्ता की ओर से सुश्री अदिति जोशी, अधिवक्ता ।
प्रत्यर्थी क्रमांक–3 द्वारा	:	श्री दशरथ गुप्ता, अधिवक्ता की ओर से श्री प्रवेश साहू, अधिवक्ता ।

न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार जायसवाल

!! निर्णय पीठ पर पारित !!

08/07/2026

1. मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 173 के अंतर्गत प्रस्तुत इस अपील में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, मुंगेली, जिला–मुंगेली (छत्तीसगढ़) द्वारा दावा प्रकरण क्रमांक–01/2019, **"**इंदा बाई निषाद वगैरह **विरुद्ध** रामस्वरूप साहू वगैरह**"** में पारित अधिनिर्णय दिनांक 11/12/2019 को चुनौती दी गई है । जिसके तहत अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत धारा–166 मोटर यान अधिनियम, 1988 का दावा आवेदन खारिज कर दिया गया है । जिसे आगे संक्षेप में **"**प्रश्नाधीन अधिनिर्णय**"** से संबोधित किया जा रहा है ।

2. प्रकरण के तथ्य, संक्षेप में, इस प्रकार हैं कि दिनांक 31/10/2018 को सायं लगभग 06:30 बजे रतिराम ग्राम बुंदेली से साइकिल द्वारा अपने ग्राम नूनिया कछार जा रहा था । उसी समय रायपुर की ओर से आ रही हाईवा ट्रक क्रमांक सी.जी.–28–एच.–2613 (जिसे आगे संक्षेप में "दोषी वाहन" से संबोधित किया जा रहा है) के चालक रामस्वरूप साहू द्वारा उक्त वाहन को तेज एवं लापरवाहीपूर्वक सड़क के गलत दिशा में चलाते हुए रतिराम की साइकिल को टक्कर मार दी, जिसके परिणामस्वरूप रतिराम को गंभीर चोटें आईं तथा उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई । उक्त घटना के संबंध में पुलिस थाना

मुंगेली, जिला मुंगेली (छत्तीसगढ़) में अपराध क्रमांक 506/2018 पंजीबद्ध कर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304(क) के अंतर्गत अपराध कायम किया गया । मृतक के विधिक वारिसान, अर्थात् उसकी पत्नी इंदा बाई निषाद तथा पुत्रगण रामकुमार एवं शिवसाय द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 166 के अंतर्गत प्रतिकर प्राप्त करने हेतु दावा आवेदन प्रस्तुत किया गया ।

3. "प्रश्नाधीन अधिनिर्णय" के तहत अधिकरण ने अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के परिशीलन उपरांत यह निष्कर्ष अभिलिखित किया कि दावाकर्तागण द्वारा अपने पक्ष समर्थन में साक्षियों का परीक्षण कराए जाने के अतिरिक्त मर्ग सूचना, प्रथम सूचना पत्र, घटनास्थल का नक्शा पंचनामा, शव परीक्षण हेतु आवेदन, शव परीक्षण प्रतिवेदन तथा बीमा पॉलिसी प्रस्तुत की गई थी । तथापि, पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया । फलस्वरूप, अधिकरण ने वाद–प्रश्न क्रमांक–1 के संबंध में यह निष्कर्ष दिया कि यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि दुर्घटना किस व्यक्ति की उपेक्षा एवं उतावलेपन के कारण घटित हुई । यह भी प्रमाणित नहीं पाया कि रतिराम की मृत्यु उक्त दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई थी । इसके अतिरिक्त, अधिकरण ने यह भी अभिलिखित किया कि अभिलेख पर प्रस्तुत बीमा पॉलिसी में दोषी वाहन का पूर्ण पंजीयन क्रमांक अंकित न होकर केवल "सी.जी.–10" अंकित है । उक्त आधारों पर अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण/दावाकर्तागण का दावा आवेदन निरस्त कर दिया गया । जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है ।

4. अपीलार्थीगण/दावाकर्तागण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आदेश 41 नियम 27 सहपठित धारा 151, व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत अंतरिम आवेदन

क्रमांक–01/2026, जो शपथपत्र द्वारा समर्थित है, के माध्यम से पुलिस थाना मुंगेली के अपराध क्रमांक–506/2018 में प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रति अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में अभिलेख पर लिए जाने का निवेदन किया । विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि उक्त दस्तावेज का न्यायोचित एवं प्रभावी निर्णय के लिए अभिलेख पर लिया जाना आवश्यक है, क्योंकि अधिकरण ने "प्रश्नाधीन अधिनिर्णय" में अंतिम प्रतिवेदन अभिलेख पर प्रस्तुत न होने के आधार पर दावाकर्तागण का दावा आवेदन निरस्त कर दिया है । अतः उक्त दस्तावेज को अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में अभिलेख पर ग्रहण करते हुए "प्रश्नाधीन अधिनिर्णय" को अपास्त किया जाए तथा प्रकरण को विधि के अनुसार पुनर्विचार हेतु संबंधित अधिकरण को प्रतिप्रेषित किया जाए ।

5. प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण ने उक्त अंतरिम आवेदन तथा मूल अपील, दोनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि आदेश 41 नियम 27 सहपठित धारा 151, व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अतिरिक्त साक्ष्य को केवल अपवादस्वरूप परिस्थितियों में ही अभिलेख पर लिया जा सकता है । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थीगण/दावाकर्तागण द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि जांच के दौरान संबंधित दस्तावेज प्राप्त कर उसे अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उन्होंने समय रहते क्या प्रयास किए थे । वस्तुतः प्रस्तुत अंतरिम आवेदन अधिकरण के समक्ष रह गई कमी की पूर्ति के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है, जिसकी अनुमति विधि के अंतर्गत नहीं दी जा सकती । अतः अंतरिम आवेदन निरस्त किया जाए ।

6. उभयपक्ष के तर्क श्रवण किए गए तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया ।

7. आदेश 41 नियम 27 व्यवहार प्रक्रिया संहिता, के प्रावधान निम्नवत हैः–

"27. **अपील न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य का पेश किया जाना– (1)** अपील के पक्षकार अपील न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य चाहे वह मौखिक हो या दस्तावेजी, पेश करने के हकदार नहीं होंगे, किंतु यदि–

(क) उच्च न्यायालय ने जिसकी डिक्री की अपील की गई है, ऐसे साक्ष्य ग्रहण करने से इन्कार कर दिया हे जो ग्रहण किया जाना चाहिए था, अथवा

[(कक) वह पक्षकार जो अतिरिक्त साक्ष्य पेश करना चाहता है यह सिद्ध कर देता हे कि वह सम्यक् तत्परता का प्रयोग करे के बावजूद ऐसे साक्ष्य की जानकारी नहीं रखता था या उसे उस समय पेश नहीं कर सकता था जब वह डिक्री पारित की गई थी जिसके विरूद्ध अपील की गई है, अथवा]

(ख) अपील न्यायालय किसी दस्तावेज के पेश किए जाने की या किसी साक्षी की परीक्षा की जाने की अपेक्षा या तो स्वयं निर्णय सुनाने के समर्थ होने के लिए या किसी अन्य सारवान् हेतुक के लिए करे,

तो अपील न्यायालय ऐसे साक्ष्य का लिया जाना या दस्तावेज का पेश किया जाना या साक्षी की परीक्षा का किया जाना अनुज्ञात कर सकेगा ।

(2) जहाँ कहीं अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने के लिए अपील न्यायालय अनुज्ञा दे देता है वहाँ न्यायालय ऐसे साक्ष्य के ग्रहण किए जाने के कारणों को लेखबद्ध करेगा ।"

8. उक्त प्रावधान के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि यदि अपीलीय न्यायालय संतुष्ट हो कि किसी दस्तावेज को अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में अभिलेख पर लिया जाना न्यायोचित निर्णय प्रदान करने अथवा किसी अन्य सारवान कारणवश आवश्यक है, तो वह ऐसे दस्तावेज को अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाने की अनुमति प्रदान कर सकता है । विचाराधीन प्रकरण में यह निर्विवाद है कि दावाकर्तागण द्वारा अपने पक्ष समर्थन में साक्षियों का परीक्षण कराए जाने के अतिरिक्त मर्ग सूचना, प्रथम सूचना पत्र, घटनास्थल का नक्शा पंचनामा, शव परीक्षण हेतु आवेदन, शव परीक्षण प्रतिवेदन तथा बीमा पॉलिसी अभिलेख पर प्रस्तुत की गई थी । तथापि, पुलिस के अंतिम प्रतिवेदन के अभाव में अधिकरण द्वारा दावा

आवेदन निरस्त कर दिया गया । ऐसी परिस्थितियों में तथा प्रकरण के समस्त तथ्य एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए, यह न्यायालय पाती है कि न्यायहित में दावाकर्तागण को उक्त दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत करने तथा उसके संबंध में सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित होगा ।

9. जहाँ तक प्रदर्श–ए/5 के रूप में प्रस्तुत बीमा पॉलिसी में कथित दोषी वाहन के पूर्ण पंजीयन क्रमांक के उल्लेख न होने का प्रश्न है? इस संबंध में विचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि उक्त बीमा पॉलिसी की प्रतिलिपि स्वयं दावाकर्तागण द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है । तथापि, यह स्पष्ट करना कि उक्त बीमा पॉलिसी किस वाहन के संबंध में जारी की गई थी, केवल दावाकर्तागण का ही नहीं, बल्कि वाहन स्वामी एवं बीमा कंपनी का भी समान रूप से उत्तरदायित्व है । ऐसी परिस्थितियों में इस प्रश्न का समुचित परीक्षण किए बिना मात्र उक्त आधार पर दावा आवेदन का निरस्तीकरण न्यायोचित प्रतीत नहीं होता । अतः इस न्यायालय का मत है कि "प्रश्नाधीन अधिनिर्णय" स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । न्यायहित में दावाकर्तागण के साथ–साथ प्रत्यर्थीगण को भी उक्त विषय में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने तथा सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित होगा ।

10. अतः, आदेश 41 नियम 27 सहपठित धारा 151, व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत अंतरिम आवेदन क्रमांक–01/2026 स्वीकार किया जाता है । अपीलार्थीगण/ दावाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत पुलिस थाना मुंगेली के अपराध क्रमांक–506/2018 का अंतिम प्रतिवेदन अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में अभिलेख पर लिया जाता है । फलस्वरूप, "प्रश्नाधीन अधिनिर्णय" अपास्त किया जाता है ।

11. प्रकरण को विधि के अनुसार पुनः विचार एवं निराकरण हेतु संबंधित अधिकरण को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उक्त अंतिम प्रतिवेदन को अभिलेख पर लेने के उपरांत उभयपक्ष को आवश्यकतानुसार अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने तथा सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाए । तत्पश्चात् अभिलेख पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का सम्यक् मूल्यांकन करते हुए प्रकरण का विधि के अनुसार यथाशीघ्र निराकरण किया जाए ।

12. उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि अधिकरण के समक्ष दिनांक–10/08/2026 को 11.00 बजे अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहें ।

13. उपरोक्तानुसार, अपील का निराकरण किया जाता है ।

14. निर्णय की प्रति के साथ अधिकरण का अभिलेख शीघ्रतापूर्वक आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ व पालनार्थ वापस प्रेषित हो ।

सही/–
(संजय कुमार जायसवाल)
न्यायाधीश

पोमन